एनजीटी की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने पेश किया एक्शन प्लान

ऑड-ईवन नहीं मिलेगी किसी को छूट

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): एनजीटी से मिली फटकार के बाद आखिरकर दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान एनजीटी के समक्ष पेश कर दिया। एनजीटी से बुधवार तक की मिली डेडलाइन के बाद एक्शन प्लान पेश करते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि एनजीटी के निर्देशानुसार ही ऑड-ईवन स्कीम लागू की जाएगी। इसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी।

इस पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि एयर क्वालिटी सुधारने के लिए किस तरह से ग्रेडेडे रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) को लागू करेंगे। सरकार द्वारा पेश किए एक्शन प्लान की एनजीटी ने सराहना की। साथ ही एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने इसे लेकर और स्पष्टीकरण मांगा है।

बेंच ने जवाब तलब किया कि एयर क्वालिटी की स्थिति बिगडऩे पर ऑड-ईवन लागू किया जाएगा लेकिन बाकी दिनों को लेकर क्या योजनाएं हैं। संबंधित प्रमुख सचिवों के साथ बैठकर प्लान बनाने के भी दिशा-निर्देश दिए गए। बता दें कि बीते सोमवार को ही

एनजीटी ने पड़ोसी राज्यों से भी प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने के दिए निर्देश

प्रदूषण को लेकर कोई एक्शन प्लान न पेश करने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। साथ ही रविवार को फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारत-श्रीलंका के बीच हुए क्रिकेट मैच में प्रदूषण को लेकर मैच में आई रूकावट के लिए भी संबंधित अथॉरिटी को एनजीटी ने फटकारा था। बेंच ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक्शन प्लान बुधवार तक पेश करने का निर्देश जारी किया था। बेंच ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट किया था कि यदि 48 घंटों के भीतर सरकार ने एक्शन प्लान पेश नहीं किया तो सरकार पर भारी जुर्माना ठोका जाएगा। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा कि अखबारों में आए दिन दिल्ली की प्रदूषण की समस्या को प्रकाशित किया गया लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास क्यों नहीं किया।

डीसीडब्ल्यू ने नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर को भेजा सम्मन

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : जीबी रोड स्थित कोठों में तहखाने न तोड़ने पर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनएमसीडी) के आयुक्त को समन भेजा है। डीसीडब्ल्यू का कहना है कि इन तहखानों को लेकर उनकी एनएमसीडी और दिल्ली पुलिस के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है। उनमें डीसीडब्ल्यू ने नॉर्थ एमसीडी से इन कोठों को तोड़ने या इन पर ताला लगाने के लिए योजना बनाने और इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया था। इसके बाद भी नगर निगम की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर समन भेजा गया है। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति जयहिंद का कहना है कि जीबी रोड पर बने इन कोठों में तस्करी कर लाई गयी बच्चियों को रखा जाता है।

इसे लेकर डीसीडब्ल्यू और नगर निगम मिल कर दो बार जीबी रोड स्थित कोठों का सर्वे कर चुके हैं । आयोग कई बार नगर निगम को पत्र लिख कर इन कोठों में उपस्थित तहखानों के बारे में अवगत करा चुका है । इस सब के बावजूद उत्तरी दिल्ली नगर निगम इन कोठों को बंद करने के लिए कोई भी कार्रवाई करने में असफल रहा है। इस मामले में आयोग ने इसी साल नवम्बर में नार्थ एमसीडी के आयुक्त को समन किया था। स्वाति का कहना है कि इस समन के जवाब में नगर निगम ने जो सर्वे रिपोर्ट भेजी है, उसमें बताया है कि जीबी रोड पर कोठों में कोई तहखाना नहीं है ।

पायलट्स की लंबी ड्यूटी पर केंद्र और डीजीसीए को नोटिस

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने आज पायलेट्स के ड्यूटी ऑवर को लेकर केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और सी हरि शंकर की बेंच ने एक याचिका की सुनवाई के बाद ये नोटिस जारी किया। दरअसल, इस याचिका में कहा गया है कि भारत में पायलट्स को फ्लाइट उड़ाने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय नियम बने हुए हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जाता। और डीजीसीए ने भी इसके लिए कोई खाका तैयार नहीं किया है जिससे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि उड़ान के निश्चित घण्टे वाला नियम लागू हो रहा है या नहीं। इसके लिए कोई तंत्र काम नहीं करता। याचिका में ये भी कहा गया कि अक्सर पायलट्स अपनी ड्यूटी से ज्यादा देर तक काम करते हैं। इसका एक कारण है कि उनकी ड्यूटी निर्धारित ही नहीं की जाती। इस पर बेंच ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और इस पर तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने फ्लाइट्स के और पायलट्स के काम के समय की जानकारी भी मांगी। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या ऐसा कोई कानून है जो पायलट्स को 8 घंटों से ज्यादा जहाज उड़ाने के लिए बाध्य करें। याचिका लगाने वाले केरल निवासी यशवंत शेनॉय ने कहा कि पायलट के लंबे समय तक काम करने के मामले में डीजीसीए कोई कदम नही उठाता, ये ऑपरेटर अपने हिसाब से तय करने में लगे है जो कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के विपरीत है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।

दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूल में हों अलग इंतजाम

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिव्यांगों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के मामले में केंद्र सरकार और सामाजिक न्याय मंत्रालय से जवाब तलब किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और सी हरि शंकर की बेंच ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र को 4 हफ्तों में जवाब देने का आदेश दिया। एक याचिका विधि केंद्र और लीगल पालिसी की तरफ से लगाई गई जिसमें कहा गया कि भारत संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांगों के अधिकार के तहत नियमों के तहत बंधा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद दिव्यांगों की शिक्षा के अधिकार का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। नियम कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार सबके लिए एक है। भले ही दिव्यांग छात्र हो या सामान्य सब एक ही स्कूल में पढ़े और दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूल में अलग से इंतजाम किए जाए जैसी उन्हें जरूरत है।

चुनाव चिह्न पर शरद खेमा फिर हाईकोर्ट में

जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव खेमे के नवनियुक्त अध्यक्ष के राजशेखरन ने आज चुनाव आयोग के चुनाव चिह्न को लेकर दिए गए आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। गौरतलब है की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद जदयू दो खेमो में बंट गया है। जिसमें से एक खेमा नीतीश कुमार के साथ है तो दूसरा शरद यादव के साथ। शरद यादव के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि शरद यादव की अयोग्यता पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। यह राजनीतिक प्रतिशोध है हम इसकी दृढ़ता से निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि अयोग्यता रद्द कर दी जाए।

अब फाइलों की स्थिति पर नजर रखेगा डीडीए

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के विभिन्न विभागों के बीच लंबे समय से चक्कर काटती फाइलों की वास्तविक स्थिति अब अधिकारियों एवं लोगों को भी पता चल सकेगी।

डीडीए अपने कामों में पारदर्शिता लाने एवं कार्यकुशलता में सुधार के लिए मेगा डिजिटल प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत लोगों एवं विभागों के आंतरिक कामों से संबंधित फाइलों में रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआइडी) टैग लगाया जाएगा जिससे फाइलों का रियल टाइम मूमेंट पता चलेगा। इससे लंबे समय से एक ही विभाग में रुकी फाइल के आगे न बढ़ने का वास्तविक कारण पता लगेगा और उसे समय से ठीक किया जा सकेगा। इस डिजिटल मुहिम की शुरुआत से डीडीए में भ्रष्टाचार कम होगा जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फाइलों में आरएफआईडी टैग लगाया जाना प्राधिकरण की डिजिटाइजेशन मुहिम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर देखा जाता है कि कई कामों में तय समय सीमा से ज्यादा वक्त लग जाता है। इन कामों की फाइलें ऑब्जेक्शन एवं अप्रूवल न मिलने के कारण रुकी रहती हैं। इसके चलते कामों में ज्यादा देरी हो जाती है। उन्होंने बताया कि आरएफआईडी टैग लग जाने से फाइलों की वास्तविक स्थिति पता चलेगी जिससे सही समय पर मामलों का डिस्पोजल हो सकेगा। अधिकारी ने बताया कि फाइलों एवं अन्य दस्तावेजों के रख रखाव के लिए स्टेट ऑफ दॉ आर्ट रिकॉर्ड रूम बनाया जाएगा। इसके अलावा 22 नागरिक सुविधा केन्द्र एवं मोबाइल नागरिक सुविधा केन्द्र बनाये जाएंगे तथा क्षेत्रीय एसडीएम ऑफिसों में 27 इंटरनेट इन्फोमेशन कियोस्क बनाये जाएंगे। यहां से लोग डीडीए की योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगे।

भ्रष्टाचार में कमी आने से लोगों को मिलेगी राहत

अपील

मेरी प्यारी बहनों और भाइयों,

दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों के लिए बुनियादी सुविधाऐं जैसे स्वच्छ पेयजल, शौचालय, कंबल, बिस्तर आदि से युक्त **248** रैन बसेरों की स्थापना की है। ये रैन बसेरे चौबीस घंटे खुले हैं और निः शुल्क हैं।

शीतकाल के दौरान लोग खुले में सोने के लिए मजबूर न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। यह देखा गया है कि नागरिक और अन्य धर्मार्थ संस्थान कंबल, गद्दे, रजाई, गर्म कपड़े और पैसे बेघर लोगों को दान करते हैं। मैं इस तरह के नागरिकों और संगठनो से अपील करता हूँ कि इन वस्तुओं का दान नजदीकी रैन बसेरों या दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के नियंत्रण कक्ष, जो कि पुनर्वास भवन आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली - 02 मे स्थित है, में देने की कृपा करें ना कि गलियों या सड़कों पर रह रहे बेघर लोगों को। आपका यह प्रयास बेघर लोगों को शीतकाल के दौरान खुले में ना सोकर रैन बसेरों में सोने के लिए प्रोत्सहित करेगा क्योकि इस दौरान खुले में सोना बेघर लोगों की सेहत और जान के लिए खतरनाक है।

मैं अपील करता हूँ कि यदि आप बेघर लोगों को खुले में सोते हुए पाएँ तो उन्हें नजदीकी रैन बसेरों में स्थानान्तरित होने के लिए प्रोत्साहित करे या दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की एप **"Rain Basera"** के माध्यम से बेघरों का फोटो खींचकर भेजे।
इस एप को निम्न नम्बर पर मिस्ड कॉल करके डाउनलोड किया जा सकता है।

8826400500

आप दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के नियंत्रण कक्ष, फोन नंबर **011-23378789, 8527898295** और **8527898296** पर भी संपर्क कर सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
(दिल्ली सरकार)

दिल्ली सरकार
आप की सरकार

DIP/SHABARTH/D/0131/17-18

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

आपका सहयोग

ट्रैफिक चालानों का निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत

में

9 दिसम्बर, 2017

(प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक)

सभी प्रकार के वाहनों (व्यवसायिक वाहनों सहित)
नोटिस ब्रांच द्वारा जारी लंबित और ट्रैफिक चालानों का तुरन्त निपटारा

ट्रैफिक चालानों के तुरन्त निपटारे के लिए
सभी संबंधित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यातायात कोर्ट में

नोटिस ब्रांच ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी चालानों के लिए तीस हज़ारी, पटियाला हाऊस, कड़कड़डूमा, द्वारका, साकेत एवं रोहिणी न्यायालय परिसर के किसी भी न्यायालय में

दिल्ली यातायात पुलिस वेबसाइट www.delhitrafficpolice.nic.in पर लॉग ऑन करें
अपने वाहनों के लंबित नोटिस/चालानों के बारे में जानने के लिए

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण हेल्पलाइन - 1516

दिल्ली यातायात पुलिस हेल्पलाइन- 1095, 25844444

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

आप हमसे जुड़ें:
https://twitter.com/dtptraffic
https://www.facebook.com/dtptraffic

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें:
cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in

लिखें : पुलिस आयुक्त, दिल्ली को
पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर

ट्रैफिक प्रहरी बनें
तुरंत पुलिस सहायता के लिए कॉल करें 100

एप डाउनलोड करें
App Store Google play
पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें 1090

DP/8869/17